

न्यायालय उपखाण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 48/2020

48/2020

A2/1

1. अजायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

- वादी -

बनाम

1. दिलावर सिंह पुत्र सवत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रभजीत कौर उर्फ गुरमेल कौर पत्नी दिलावर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. प्रदीप कौर पुत्री नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. सन्दीप कौर पुत्री नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर।
8. वीरपाल कौर पुत्री सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर।
9. नायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर।
10. सुखविन्द्र कौर पत्नी अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर।
11. सतवीर कौर पत्नी नायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर।
12. राजवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता --वादी की ओर से:-
2. श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता --प्रतिवादी संख्या 1 ता 12:-
3. पैरोकार राज --प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से:-


वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91 आरटीए

--निर्णय--

दिनांक : 13/07/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 9 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 5 की कुल 6.274 हैक्टर, चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 20 की कुल 2.216 हैक्टर, खाता संख्या 49 की कुल 17.704 हैक्टर, खाता संख्या 62 की कुल 2.933 हैक्टर, खाता संख्या 118 की कुल 2.395 हैक्टर,




मूलचन्द लूणिया
उपखाण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

खाता संख्या 5 की कुल 0.986 हैक्टर, खाता संख्या 6 की कुल 0.986 हैक्टर, खाता संख्या 61 में कुल 3.112, खाता संख्या 99 में कुल 0.948 हैक्टर, खाता संख्या 97 में कुल 0.341 हैक्टर, खाता संख्या 98 में कुल 3.159 हैक्टर, खाता संख्या 109 में कुल 1.138 हैक्टर, खाता संख्या 111 में कुल 0.480 हैक्टर, खाता संख्या 127 में कुल 2.340 हैक्टर, खाता संख्या 119 में कुल 1.492 हैक्टर उक्त खातों की कुल 43.470 हैक्टर भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी एवम प्रतिवादीगण के नाम उपरोक्तानुसार संयुक्त व एकल खाता में उनके नाम दर्ज है। वादी एंवम प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार के सदस्य है। इस कारण वादी एंव प्रतिवादीगण ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि का अपनी सहूलियत व काशत की दृष्टि से काफी वर्षों पूर्व पारिवारिक मौखिक विभाजन कर लिया था और विभाजन अनुसार सभी पक्ष अपने हिस्सा में आयी भूमि पर काविज चले आ रहे है। दोनो पक्षो ने आपसी से उक्त पारिवारिक सम्पति विभाजन को याददाशत के तौर पर लिखित रूप देते हुये दिनांक 16.08.2018 को भूमि का आपसी बटवारा हेतु सहमति पत्र लिखित में तहरीर करवाया। जिस पर सभी पक्षो ने साक्षीगण के समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी किये लेकिन बाद में प्रतिवादीगण उक्त समझौतानामा के अनुसार कृषि भूमि वादी व अपने नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने से इनकार हो गये। वादी ने उक्त पारिवारिक सम्पति विभाजन में अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि को कई वर्षों की कड़ी मेहनत से समतल कर उपजाऊ बनाया है। यदि उक्त कृषि भूमि मुझ वादी के नाम मौखिक एंवम लिखित बटवारानामा के अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं होती है तो मुझ वादी को अपूर्णाय क्षति होगी। आज से दो रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर कहा कि हम सभी पक्षकार मौखिक एंवम लिखित पारिवारिक सम्पति विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्सा में आई कृषि भूमि पर काविज है तथा उसी अनुसार फसल काशतकर पानी की बारी आदि बन्धवा रखी है। इसलिये क्यों ना हम बटवारानामा के अनुसार कृषि भूमि अपने अपने नाम दर्ज करवा लेवे तो सभी प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। यही वाद कारण है। तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को बतौर लैण्ड होल्डर दावा में पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर, अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे:-

चक 9 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 5 में काशतकार अजायब सिंह, जगदीप सिंह, नायब सिंह, प्रदीप सिंह, परविन्द्र कौर, हरदीप सिंह के नाम व हिस्सा के स्थान पर मुरबा नं0 55 के किला नं0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक 0.253 है0, किला नं0 12 के 0.026 है0 व किला नं0 25 के 0.0202 है0 कुल 4.365 है0 बारानी कृषि भूमि का स्वामी अजायब सिंह



48/2020
श्रीकरणपुर

पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर को व मुरबा नं0 55 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक 0.253 है0 व किला नं0 12 के 0.227 है0 कुल 1.909 है0 वारानी कृषि भूमि का परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 20 के मुरबा नं0 13, 34, 47, 48, 49, 51, 60/41, 60/43 की कुल 17.703 है0 नहरी भूमि में काशतकार परविन्द्र कौर के 73/17703 हिस्सा, प्रदीप कौर के 73/17703 हिस्सा, जगदीप सिंह के 148/17703 हिस्सा, हरदीप सिंह के 73/17703 हिस्सा, नायब सिंह के 41/1967 हिस्सा, अजायब सिंह के 41/1967 हिस्सा, दिलावर सिंह के 106/2529 हिस्सा, प्रभजीत कौर उर्फ गुरमेल कौर पत्नी दिलावर सिंह के 41/1967 हिस्सा के स्थान पर 0.647 है0 भूमि का स्वामी अजायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर व 1.569 है0 नहरी कृषि का स्वामी दिलावर सिंह पुत्र सवत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 49 के काशतकार अजायब सिंह के 1/4 हिस्सा, दिलावर सिंह का 1/02 हिस्सा व नायब सिंह का 1/4 हिस्सा के स्थान पर मुरबा नं0 24 के 2.909 है0 एंवम मुरब्बा नं0 28 के 6.195 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी राजवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह, सुखविन्द्र कौर पत्नी अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर व अजायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर को बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3 हिस्सा का स्वामी घोषित किया जावे। मुरब्बा नं0 27 की कुल 0.480 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह को बहिस्सा बराबर व मुरब्बा नं0 29 में 1.795 है0, मुरब्बा नं0 39 में 6.325 है0 कुल 8.120 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी दिलावर सिंह पुत्र सवत्र सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 62 में जगदीप सिंह, प्रदीप सिंह, परविन्द्र कौर, हरदीप सिंह के स्थान पर मुरबा नं0 1 के किला नं0 6 में 0.076 है0 का स्वामी अजायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर व मुरब्बा नं0 1 के किला नं0 24/01 के 0.051 है0, मुरब्बा नं0 1 के किला नं0 23/02 के 0.089 है0 नहरी, किला नं0 17 के 0.253 है0, किला नं0 18/01 के 0.126 है0 कुल 0.519 है0 नहरी कृषि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर व मुरब्बा नं0 5 के किला नं0 15 के 0.089 है0 नहरी व मुरब्बा 2 में 0.707 है0




5/2/20
पुत्र सुरजन सिंह
नायब सिंह का स्वामी
जलंधर जिला न्यायालय

48/2020
A2/y

अजायब सिंह बनाम दिलावर सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91 आरटीए, प्रकरण संख्या 48/2020

बारानी, मुरब्बा नं० 5 के किला नं० 15 के 0.138 है० नहरी, मुरब्बा नं० 20 के 1.379 है० नहरी, मुरब्बा नं० 60/45 के 0.025 है० खाला कुल 2.338 है० नहरी/बारानी मय खाला का परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 118 के काश्तकार परविन्द्र कौर, सुखविन्द्र कौर, सतवीर कौर के नाम व हिस्सा के स्थान पर मुरबा नं० 33 के किला नं० 13 में 0.139 है०, 14 के 0.253 है०, 15 के 0.227 है०, 24 के 0.044 है०, मुरब्बा नं० 60/21 में 0.025 है० खाला कुल 0.688 है० नहरी मय खाला का स्वामी सुखविन्द्र कौर पत्नी अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर व मुरब्बा नं० 27 में 0.734 है० नहरी, मुरब्बा नं० 29 के किला नं० 15/03 में 0.012 है० नहरी, मुरब्बा नं० 60/19 में 0.025 है० खाला कुल 0.822 है० मय खाला, मुरब्बा नं० 33 के किला नं० 21, 22, 23 प्रत्येक 0.253 है०, 24 के 0.126 है० कुल 0.885 है० नहरी, सर्वयोग 1.656 है० नहरी मय खाला का परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह को बहिस्सा बराबर एवमं मुरब्बा नं० 39 के किला नं० 13/03 के 0.051 है० का दिलावर सिंह पुत्र सवत्र सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 5 के काश्तकार अजायब सिंह के नाम दर्ज मुरबा नं० 30 के किला नं० 5, 6, 15, 16 में 0.986 है० नहरी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 6 के काश्तकार अजायब सिंह के नाम दर्ज मुरबा नं० 30 के किला नं० 4, 7, 14, 17 में 0.986 है० नहरी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 61 के काश्तकार अजायब सिंह, जगदीप सिंह, नायब सिंह, प्रदीप, परविन्द्र कौर, हरदीप सिंह के नाम व हिस्सा की कृषि भूमि मुरबा नं० 13 में 3.112 है० नहरी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 99 के काश्तकार अजायब सिंह, जगदीप सिंह, नायब सिंह, प्रदीप, परविन्द्र कौर के 200/3371 व 11/6742 हिस्सा, वीरपाल कौर, सन्दीप कौर, हरदीप सिंह के नाम व हिस्सा के स्थान पर 0.531 है० नहरी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन




सिखिन्द्र (पुणिया)
मुख्य अधिकारी (राजस्व)
लुधियाना

अजायब सिंह बनाम दिलावर सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91 आरटीए, प्रकरण संख्या 48/2020

48/2020
A2/5

जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर व 0.417 है0 नहरी कृषि भूमि का परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 97 के मुरबा नं0 56 में 3.593 है0 नहरी कृषि भूमि में परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह के हिस्सा की 0.341 है0 कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 98 के मुरब्बा नं0 19 में 3.159 है0 नहरी कृषि भूमि में नायब सिंह, अजायब सिंह, वीरपाल कौर के 0.094 है0 बहिस्सा बराबर, परविन्द्र कौर, जगदीप सिंह, हरदीप सिंह, सन्दीप कौर, प्रदीप कौर के 0.032 है0 बहिस्सा बराबर कुल 0.126 है0 का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 109 के मुरबा नं0 10 के किला नं0 16, 17, 18, 19, 25/02 में 1.138 है0 बारानी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 111 के मुरबा नं0 5 में कुल 0.480 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 127 के मुरबा नं0 5, 9, 21, 60/07 में कुल 8.423 है0 नहरी/बारानी मय खाला में से सुखविन्द्र कौर की 0.380, सतवीर कौर की 1.960 है0 कुल 2.340 है0 के स्थान पर 2.340 है0 कृषि भूमि का स्वामी सतवीर कौर पत्नी नायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये जावे। चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 119 के मुरबा नं0 29 में कुल 2.984 है0 नहरी कृषि भूमि में से सुखविन्द्र कौर, सतवीर कौर, परविन्द्र कौर का 1.492 है0 बहिस्सा बराबर भूमि के स्थान पर परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह को 1.492 है0 नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 की ओर से अधिवक्ता श्री



सुखविन्द्र कौर
अधिवक्ता (राजस्व)
जलंधर

इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 12 के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। दोनो पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा दोनो पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली में सलग्न किया गया।

दोनो पक्षों के अधिवक्तागण के द्वारा उपस्थित आकर निवेदन किया गया कि प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। इसलिए राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किया जावे।

दोनो पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया दोनो पक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री हेतु सहमत है। वादी का वादपत्र दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर चक 9 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 5 की कुल 6.274 हैक्टर, चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 20 की कुल 2.216 हैक्टर, खाता संख्या 49 की कुल 17.704 हैक्टर, खाता संख्या 62 की कुल 2.933 हैक्टर, खाता संख्या 118 की कुल 2.395 हैक्टर, खाता संख्या 5 की कुल 0.986 हैक्टर, खाता संख्या 6 की कुल 0.986 हैक्टर, खाता संख्या 61 में कुल 3.112, खाता संख्या 99 में कुल 0.948 हैक्टर, खाता संख्या 97 में कुल 0.341 हैक्टर, खाता संख्या 98 में कुल 3.159 हैक्टर, खाता संख्या 109 में कुल 1.138 हैक्टर, खाता संख्या 111 में कुल 0.480 हैक्टर, खाता संख्या 127 में कुल 2.340 हैक्टर, खाता संख्या 119 में कुल 1.492 हैक्टर उक्त खातों की कुल 43.470 हैक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं:-

1. चक 9 एस ए

की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 5 में काश्तकार अजायब सिंह, जगदीप सिंह, नायब सिंह, प्रदीप सिंह, परविन्द्र कौर, हरदीप सिंह के नाम व हिस्सा के स्थान पर मुरबा नं0 55 के किला नं0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 प्रत्येक 0.253 है0, किला नं0 12 के 0.115 है0 पूर्वी व किला नं0 25 के 0.0202 है0 कुल 4.365 है0 बारानी कृषि भूमि का स्वामी अजायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर को व मुरबा नं0 55 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक 0.253 है0 व किला नं0 12 के 0.138 है0 पश्चिमी कुल 1.909 है0 बारानी कृषि भूमि का परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम बहिस्सा बराबर राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावें।

2. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 20 के मुरबा नं0

13, 34, 47, 48, 49, 51, 60/41, 60/43 की कुल 17.703 है0 नहरी भूमि में



5946
विश्विन्द्र लिंगेवा
अससद अधिकारी (राजस्व)
श्रीकल्याणपुर

48/2020

A2/T


अजायब सिंह बनाम दिलावर सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91 आरटीए, प्रकरण संख्या 48/2020

काश्तकार परविन्द्र कौर के 73/17703 हिस्सा, प्रदीप कौर के 73/17703 हिस्सा, जगदीप सिंह के 148/17703 हिस्सा, हरदीप सिंह के 73/17703 हिस्सा, नायब सिंह के 41/1967 हिस्सा, अजायब सिंह के 41/1967 हिस्सा, दिलावर सिंह के 106/2529 हिस्सा, प्रभजीत कौर उर्फ गुरमेल कौर पत्नी दिलावर सिंह के 41/1967 हिस्सा के स्थान पर 0.432 है० भूमि का स्वामी अजायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर व 1.784 है० नहरी कृषि का स्वामी दिलावर सिंह पुत्र सवत्र सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।

3. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 49 के काश्तकार अजायब सिंह के 1/4 हिस्सा, दिलावर सिंह का 1/02 हिस्सा व नायब सिंह का 1/4 हिस्सा के स्थान पर मुरबा नं० 24 के 2.909 है० एंवम मुरब्बा नं० 28 के 6.195 है० नहरी कृषि भूमि का स्वामी राजवीर सिंह पुत्र अजायब सिंह, सुखविन्द्र कौर पत्नी अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर व अजायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर को बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3 हिस्सा का स्वामी घोषित किया जावे। मुरब्बा नं० 27 की कुल 0.480 है० नहरी कृषि भूमि का स्वामी परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह को बहिस्सा बराबर व मुरब्बा नं० 29 में 1.795 है०, मुरब्बा नं० 39 में 6.325 है० कुल 8.120 है० नहरी कृषि भूमि का स्वामी दिलावर सिंह पुत्र सवत्र सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।

4. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 62 में जगदीप सिंह, प्रदीप सिंह, परविन्द्र कौर, हरदीप सिंह के स्थान पर मुरबा नं० 1. के किला नं० 6 में 0.076 है० का स्वामी अजायब सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर व मुरब्बा नं० 1 के किला नं० 24/01 के 0.051 है०, मुरब्बा नं० 1 के किला नं० 23/02 के 0.089 है० नहरी मुरब्बा नं० 5 के किला नं० 17 के 0.253 है०, किला. नं० 18/01 के 0.126 है० कुल 0.519 है० नहरी कृषि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर व मुरब्बा नं० 5 के किला नं० 15 के 0.227 है० नहरी व मुरब्बा 2 में 0.707 है० बाराणी, मुरब्बा नं० 20 के 1.379 है० नहरी, मुरब्बा नं० 60/45 के 0.025 है० खाला कुल 2.338 है० नहरी/बाराणी मय खाला का परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।




 (सुखविन्द्र लूणिया)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्रीहरणपुर

5. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 118 के काशतकार परविन्द्र कौर, सुखविन्द्र कौर, सतवीर कौर के नाम व हिस्सा के स्थान पर मुरबा नं0 33 के किला नं0 13 में 0.139 है0, 14 के 0.253 है0, 15 के 0.227 है0, 24 के 0.044 है0, मुरब्बा नं0 60/21 में 0.025 है0 खाला कुल 0.688 है0 नहरी मय खाला का स्वामी सुखविन्द्र कौर पत्नी अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी धनूर व मुरब्बा नं0 27 में 0.734 है0 नहरी, मुरब्बा नं0 29 के किला नं0 15/03 में 0.012 है0 नहरी, मुरब्बा नं0 60/19 में 0.025 है0 खाला, मुरब्बा नं0 33 के किला नं0 21, 22, 23 प्रत्येक 0.253 है0, 24 के 0.126 है0 कुल 0.885 है0 नहरी का परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह को बहिस्सा बराबर एवमं मुरब्बा नं0 29 के किला नं0 13/03 के 0.051 है0 का दिलावर सिंह पुत्र सवत्र सिंह को घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
6. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 5 के काशतकार अजायब सिंह के नाम दर्ज मुरबा नं0 30 के किला नं0 5, 6, 15, 16 में 0.986 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
7. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 6 के काशतकार अजायब सिंह के नाम दर्ज मुरबा नं0 30 के किला नं0 4, 7, 14, 17 में 0.986 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
8. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 61 के काशतकार अजायब सिंह, जगदीप सिंह, नायब सिंह, प्रदीप, परविन्द्र कौर, हरदीप सिंह के नाम व हिस्सा की कृषि भूमि मुरबा नं0 13 में 3.112 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
9. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 99 के मुरब्बा नं0 19, 20, 31 में काशतकार अजायब सिंह, जगदीप सिंह, नायब सिंह, प्रदीप, परविन्द्र कौर के 200/3371 व 11/6742 हिस्सा, वीरपाल कौर, सन्दीप कौर, हरदीप सिंह के नाम व हिस्सा के स्थान पर 0.531 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर व 0.417 है0 नहरी कृषि भूमि का परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।




(सुलचन्द लूगिया)
असखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीरंगपुर

10. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 97 के मुरबा नं0 56 में 3.593 है0 नहरी कृषि भूमि में परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह के हिस्सा की 0.341 है0 कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
11. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 98 के मुरब्बा नं0 19 में 3.159 है0 नहरी कृषि भूमि में नायब सिंह, अजायब सिंह, वीरपाल कौर के 0.094 है0 बहिस्सा बराबर, परविन्द्र कौर, जगदीप सिंह, हरदीप सिंह, सन्दीप कौर, प्रदीप कौर के 0.032 है0 बहिस्सा बराबर कुल 0.126 है0 का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
12. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 109 के मुरबा नं0 10 के किला नं0 16, 17, 18, 19, 25/02 में 1.138 है0 बाराणी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
13. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 111 के मुरबा नं0 5 में कुल 0.480 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी नायब सिंह पुत्र सुरजन जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
14. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 127 के मुरबा नं0 5, 9, 21, 60/07 में कुल 8.423 है0 नहरी/बाराणी मय खाला में से सुखविन्द्र कौर की 0.380, सतवीर कौर की 1.960 है0 कुल 2.340 है0 के स्थान पर 2.340 है0 कृषि भूमि का स्वामी सतवीर कौर पत्नी नायब सिंह जाति जटसिख निवासी 6 वी धनूर घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।
15. चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 119 के मुरबा नं0 29 में कुल 2.984 है0 नहरी कृषि भूमि में से सुखविन्द्र कौर, सतवीर कौर, परविन्द्र कौर का 1.492 है0 बहिस्सा बराबर भूमि के स्थान पर परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह, हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह, जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह को 1.492 है0 नहरी कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर उक्त भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की जावे।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस सम्बन्ध में यदि कोई राजस्व देय है या कोई राजस्व हानि है। तो सम्बन्धित पक्षकार वहन करेगा। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे, खातेदार द्वारा आहरित ऋण उन्हें विभाजन में प्राप्त भूमि पर अन्तरित होकर उस खाता में रहन दर्ज किया जावे।




सुखविन्द्र लूगिया
असस्य अधिकारी (राजस्व)
जलंधर

48/2020
Ar/10

अजायब सिंह बनाम दिवावर सिंह आदि
बाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 91 आरटीए, प्रकरण संख्या 48/2020

पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार राजम्व श्री
करणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले

न्यायालय में मुनाया गया।



(Handwritten signature)

{मूलचन्द वृणिया आर.ए.एस}
उपडिप्टि आधिकारी {राजम्व}
श्रीकल्याण सिता श्रीगंगानगर
श्रीकल्याणपुर